कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग
जोन क्रमांक–03
E-mail:- zonethreebhilai@rediffmail.com

क्र./लो.क.वि./जोन–3/2021/150 भिलाई, दिनांक 7/6/2021

//रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर आमंत्रण सूचना//

नगर पालिक निगम भिलाई जोन क्रमांक–03 के अंतर्गत वार्ड क0–21 जे0 पी0 नगर शासकीय प्राथमिक शाला में जर्जर कमरो को तोडने का कार्य हेतु इच्छुक कोई भी संस्था/एनजीओ/एजेंसी/व्यक्ति से रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आफर दर आमंत्रित की जाती है।

एजेंसी आवेदन पत्र के साथ संस्था का रजिस्ट्रेशन, आयकर प्रमाण–पत्र/ पेन कार्ड के साथ रू. 300.00 नकद जमा कर कार्यालयीन समय में दिनांक 21.06.2021 सांय 5.30 बजे तक नियम/शर्तें की प्रति प्राप्त कर सकते है। उक्त कार्य हेतु ऑफर दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23.06.2021 सायं 5.30 बजे रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त की जावेगी। लिफाफा "अ" में धरोहर राशि के रूप में रू. 5,000.00 का एफ.डी.आर. (जोन आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई एवं एजेंसी के संयुक्त नाम से देय हो) , संस्था का पंजीयन आयकर प्रमाण–पत्र/ पेन कार्ड एवं अन्य अनुशांगिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "ब" में वित्तीय ऑफर एवं लिफाफा "स" में लिफाफा अ + ब प्रस्तुत करना होगा।

प्राप्त ऑफर दिनांक 25.06.2021 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी। निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर लिफाफा "ब" (वित्तीय ऑफर) खोली जावेगी। नियम एवं शर्तों का अवलोकन कार्यालयीन समय में जोन आयुक्त, जोन क्रमांक–03 मदरटेरेसा नगर, नगर पालिक निगम भिलाई (छ.ग.) में किया जा सकेगा। दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा। नियम शर्तें एवं अन्य जानकारी निगम के वेबसाईट **www.bhilainagarnigam.com** एवं संचालनालय की वेबसाईट **www.uad.cg.gov.in** मे देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Scanned with Cam

<u>वार्ड क्र0–21 शाला के जर्जर भवन तोड़ने का नियम एवं शर्तें:–</u>

76

1. तोड़ने वाले कमरे का निरीक्षण अवश्य कर लें ।
2. विषयांकित शाला के दो कमरो को तोड़ने, के लिये आफर दर आमंत्रित किया जाता है जिसमें जमीन के उपर के समस्त सामग्री पर एजेंसी का अधिकार होगा एवं इस कार्य पर एजेंसी निगम को कितनी राशि भुगतान करेगा या निगम से भुगतान लेगा आफर दर में स्पष्ट उल्लेख करना होगा ।
3. आफर दर शासन के समस्त करो सहित होगा ।
4. तोड़ने पर लगने वाले समस्त मानव बल या मशीनरी की व्यवस्था एजेंसी को किया जाना होगा ।
5. आफर दर के अतिरिक्त निगम पृथक से कोई भी राशि का न भुगतान करेगा और न ही कोई संसाधन की व्यवस्था करेगा ।
6. तोड़ने का कार्य निगम के द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के मार्गदर्शन अनुसार करना होगा ।
7. 2 कमरा तोड़ना है एवं उससे जुडे अन्य कमरो को किसी प्रकार की क्षति न हो, अन्यथा की स्थिति में यथास्थिति करने की जवाबदारी एजेंसी की होगी ।
8. प्रश्नाधीन दोनो कमरो को तोड़ने पर निकलने वाली समस्त सामग्री एजेंसी की होगी , जिसे वह स्वयं का उपयोग करने , विकय करने स्वतंत्र रहेगा ।
9. कमरो को मात्र भूमि के बराबर तोड़ेगा उससे निचे खनन करने की अनुमति नहीं होगी ।
10. तोडने के पश्चात् निकलने वाली समस्त अनुपयोगी सामग्री को परिवहन सहित एजेंसी को अपना आफर दर देना होगा ।
11. यह कार्य नगर पालिक निगम भिलाई पूर्व सूचना देकर कभी भी निरस्त किया जाकर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा ।
12. इस कार्य के लिये तीन लिफाफा पद्धति प्रणाली अंतर्गत् रू0 5000.00 मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत वैंक से जोन आयुक्त एवं एजेंसी के नाम पर संयुक्त एफडीआर तथा स्वयं का पेन कार्ड, आधार कार्ड , वैंक खाता की स्वहस्ता. छायाप्रति लिफाफा (A) में डालना होगा तथा आफर दर लिफाफा (B) में डालना होगा । (A) एवं (B) दोनो लिफाफा एक बडा लिफाफा (C) में डालकर सील बन्द कर निर्धारित समय एवं तिथि तक या पूर्व जोन आयुक्त , जोन–3 कार्यालय में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचाने की जवाबदारी एजेंसी की होगी ।
13. समस्त प्रकार की सुरक्षा की जवाबदारी एजेंसी की होगी ।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम होगा।

जोन आयुक्त
जोन क्र0–3
नगर पालिक निगम भिलाई

Scanned with CamScanner